ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा

डा0तरुण पाण्डे
जिला लेखा परीक्षा अधिकारी
ऊधमसिंहनगर।

ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा को मुख्य रुप से 5 भागों मे बाँटा जा सकता है-

1- बजट व करारोपण

2- रोकड़ बही

3- अधिप्राप्ति व ठेका

4- निर्माण कार्य

5- योजनाऐं

बजट व करारोपण

बजट तैयार न किया जाना-

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 44(1) व 2 के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा ग्राम प्रधान के मार्गदर्शन मे वित्तीय वर्ष का बजट अनुमान तैयार किया जाना चाहिये। ग्राम पंचायत को बजट अनुमान पारित कराकर व सक्षम अनुमोदन के उपरान्त ही व्यय करना चाहिये। बजट स्वीकृति के बिना किया गया समस्त व्यय अप्राधिकृत व अनियमित है।

करारोपण का अभाव

1- उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा-37/46 मे करारोपण यथा सम्पत्ति भवन कर, प्रकाश कर, निजी शौचालयों की सफाई कर, व्यवसाय कर, चारागाह कर आदि के करारोपण के प्रावधान है।

2- अतः ग्राम पंचायत व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से विभिन्न मदों मे करारोपण कर ग्राम पंचायत की आय मे वृद्धि की जानी चाहिए।

3- करो की मांग वसूली पंजिका का न होना व बकाया कर राशि का आंकलन न किया जाना।

रोकड़ बही

रोकड़ बही मे होने वाली विभिन्न त्रुटियां निम्नाकिंत है-

1- रोकड़ बही व बैंक खातों मे अन्तर के समाधान के लिये बैंक समाधान विवरण का तैयार नही किया जाना।

महालेखाकार द्वारा निर्धारित लेखा प्रारुप संख्या-3 बैंक समाधान विवरण से सम्बन्धित है। रोकड़ बही व बैंक शेष मे अन्तर की दशा मे उक्त समाधान पत्र द्वारा अन्तर को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

2- रोकड़ बही का योग त्रुटिपूर्ण लगाया जाना।

3- वसूली की धनराशि को ग्राम पंचायत निधि मे जमा न कर गबन किया जाना।

4- बैंक से राशि आहरित कर अधिक समय तक अपने पास रखना।

5- आहरित राशि का समयान्तर्गत उपयोग/ हस्तान्तरण न किया जाना।

6- बहिर्गामी सरपंच द्वारा नकद राशि का प्रभार नही दिया जाना।

7- रोकड़ बही का हर बार नया बनाया जाना व पूर्व रोकड़ बही का शेष आगे न लिया जाना।

8- अर्जित ब्याज को जमा न किया जाना।

9- रोकड़ बही मे कटिंग, ओवरराइटिंग व सफेदे का प्रयोग करना।

10- अर्जित ब्याज व बैंक व्यय की प्रविष्टि न किया जाना।

अधिप्राप्ति व ठेके

1-सामग्री का भौतिक सत्यापन किये बिना भुगतान किया जाना।

2- सामग्री की प्रविष्टि सामग्री पंजिका मे न किया जाना।

3- अधिप्राप्ति नियमावली का पालन न किया जाना।

4- सामग्री से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाणक का न होना।

5- निष्प्रयोज्य सामग्री का विवरण न बनाया जाना।

6- कोटोशन,निविदा से सम्बन्धित पत्रावली का न होना।

7- नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न किया जाना।

8-भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा-2(16) के अनुसार निर्धारित ठेके मूल्य के 2% स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जाना चाहिए था। इससे कम मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध होने से शासकीय राजस्व की क्षति का प्रकरण है।

9- ठेकों की बकाया राशि की वसूली न किया जाना।

10-ठेका न दिये जाने से ग्राम पंचायत को आर्थिक क्षति होना।

11-पूर्व की तुलना मे कम राशि पर ठेका दिये जाने से आर्थिक क्षति होना।

निर्माण कार्य

1- निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली न होना।

2- निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् शेष राशि का समर्पण न करना।

3-अपूर्ण निर्माण कार्यों पर अलाभकारी व्यय।

4- निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने से राशि का अवरुद्ध रहना।

5- निर्माण कार्य पर प्राप्त आवंटन से अधिक व्यय होना।

6- निर्माण कार्य मे मूल्यांकन से अधिक व्यय होना।

7- प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक भुगतान किया जाना।

8- अधिक दर से भुगतान किया जाना।

9- कार्यादेश की शर्तानुसार निर्माण कार्य समयावधि मे पूर्ण न किया जाना।

10-बिना माप-पुस्तिका (M.B) मे दर्ज कार्य का भुगतान किया जाना।

11-श्रमिक उपकर की राशि की कटौती न किया जाना।

12-पंचायत को सप्लाई की गयी खनिज सामग्री पर रॉयल्टी की कटौती न किया जाना।

योजनाऐं

1- योजना की निधियों को सावधि जमा खाते मे रखा जाना।

2- लाभार्थियों की सूची उपलब्ध न होना।

3- विभिन्न योजनानुसार प्राप्त राशि, व्यय राशि व अवशेष राशि का विवरण न होना।

4- अवशेष राशि को वापस न किया जाना।

5- पेशन प्रकरणों मे वार्षिक सत्यापन न किया जाना।

धन्यवाद